न्यायालय सहायक कलक्टर, सरदारशहर

बइजलास दिव्या RAS

प्रार्थना पत्र सं. 158/2022

अनुवान रामेश्वरलाल बनाम रामस्वरूप वगैरा

आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 113, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 16/06/2025

रामेश्वरलाल पुत्र लादूराम जाति माली निवासी वार्ड नं0 22, सरदारशहर जिला चूरू

– प्रार्थी

बनाम

1. रामस्वरुप पुत्र संतलाल जाति नाई निवासी भोजरासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
2. निर्मलादेवी पत्नि फुलचन्द जाति सुथार निवासी भोजरासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
3. मालचन्द पुत्र रिधकरण जाति बुच्चा (ओसवाल) निवासी वार्ड नं0 29 सरदारशहर जिला चूरू
4. गोरधनराम पुत्र मंगतुराम जाति माली निवासी गौशाला बास, सरदारशहर जिला चूरू

–मृतक

- 4/1 विक्रम पुत्र गोरधनराम जाति माली निवासी गौशाला बास सरदारशहर जिला चूरू
- 4/2 मुकेश पुत्र गोरधनराम जाति माली निवासी गौशाला बास सरदारशहर जिला चूरू
- 4/3 अनीता पुत्री गोरधनराम जाति माली निवासी गौशाला बास सरदारशहर जिला चूरू
- 4/4 सुनीता पुत्री गोरधनराम जाति माली निवासी गौशाला बास सरदारशहर जिला चूरू

5. मदनलाल पुत्र मोहनराम जाति जाट निवासी भोजरासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, सरदारशहर जिला चूरू

– अप्रार्थीगण

उपस्थिति –

1. श्री समुन्द्र सिंह शेखावत एडवोकेट वास्ते प्रार्थी
2. श्री कालीचरण एडवोकेट वास्ते अप्रार्थी सं0 1
3. एकपक्षीय कार्यवाही वास्ते अप्रार्थी सं. 2,3,4/1 ता 4/4 एवं 5
4. पैरोकार राज वास्ते अप्रार्थी सं. 6

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम से खसरा नं0 48 तादादी 9.3600 हैक्टेयर रोही मौजा आसपालसर मुगलेरा तहसील सरदारशहर में खातेदारी की स्थित है जिसका प्रार्थी एकमात्र स्वामी, मालिक, खातेदार है। प्रार्थी के अलावा अन्य कोई खातेदार नही है प्रार्थी की खातेदारी भूमि का मौके पर रकबा कम है। यानी अपनी खातेदारी सूरत रकबा मौके पर स्थित नहीं है जो पड़ौसी की भूमि में दबा हुआ है जिसकी सही पैमाईश करवाई जाकर पुख्ता सीमा चिन्ह कायम किया जावे एवं उसी अनुसार पत्थर गढी करवाई जावे जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी के खेत खसरा नं0 48 के पड़ौसी खातेदारान अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 05 है जिन्हे प्रार्थना पत्र में पक्षकारान वाद बनाया गया है प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का राजस्व रिकॉर्ड प्रमाणित जमाबंदी एवं राजस्व नक्शा शामिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी की भूमि का पड़ोसियों द्वारा सीव को नष्ट व रद्दो

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

बदल कर प्रभावित किया गया है जो बाद पैमाईस व सीमा चिन्ह कायम करने पर सही तथ्यों की जानकारी होगी यानी वास्तविकता की जानकारी पैमाईस व सीमा चिन्ह कायम करने पर होगी। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईस व सीमा चिन्ह कायम करने के लिए भूस्वामी तहसीलदार सरदारशहर को कहा मगर उन्होने आज तक प्रार्थी की बात पर कोई ध्यान नही दिया गया तब आखिर में प्रार्थी ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्रार्थी में अपने पड़ौसी खातेदारों को नियमानुसार पक्षकार अप्रार्थीगण बनाया गया है प्रार्थी जेर प्रार्थना पत्र में अंकित अपनी खातेदारी भूमि के खातेदार है जिन्हें अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश व सीमा चिन्ह व पत्थर गढ़ी करवाने का पूर्ण हक अधिकार प्राप्त है जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं0 48 तादादी 9.3600 हैक्टेयर रोही मौजा आसपालसर मुगलेरा तहसील सरदारशहर का सीमाज्ञान करवाई जाकर नियमानुसार पत्थर गढी करवाई जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन सशुल्क तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 की ओर श्री कालीचरण शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 47 तादादी 3.3600 हैक्टेयर रोही आसपालसर मुगलेरा स्थित है जो कृषि भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड से भूमि कम है इसलिये अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड रकबा के मौके पर पूरी करने के पश्चात प्रार्थी की कृषि भूमि का सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी कायम की जाती है तो अप्रार्थी सं. 1 को कोई आपत्ति नहीं है। जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सं0 2, 3, 4/1 ता 4/4 व 5 को विधिवत तामिल होने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर जबाब बन्द कर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा अप्रार्थी सं0 6 को केवल भू धारक होने के कारण पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रकरण में राज्यहित नहीं है। प्रार्थी के खेत की सीमाओं पर पत्थरगढी होने से राज्य को कोई हानि नहीं होगी। अतः इनका जबाब बन्द कर पत्रावली बहस मुकर्रर की गई।

बहस उभयपक्षकाराना सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दौराने बहस तर्क दिया कि प्रार्थी के नाम से खसरा नं0 48 तादादी 9.3600 हैक्टेयर रोही मौजा आसपालसर मुगलेरा तहसील सरदारशहर में खातेदारी की स्थित है जिसका प्रार्थी एकमात्र स्वामी, मालिक, खातेदार है। प्रार्थी के अलावा अन्य कोई खातेदार नही है प्रार्थी की खातेदारी भूमि का मौके पर रकबा कम है जिसकी सही पैमाईश करवाई जाकर पुख्ता सीमा चिन्ह कायम किया जावे एवं उसी अनुसार पत्थर गढी करवाई जावे जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी के खेत खसरा नं0 48 के पड़ौसी खातेदारान अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 05 है जिन्हे प्रार्थना पत्र में पक्षकारान वाद बनाया गया है प्रार्थी की भूमि का पड़ोसियों द्वारा सीव को नष्ट कर प्रभावित किया गया है जो बाद पैमाईस व सीमा चिन्ह कायम करने पर सही तथ्यों की जानकारी होगी यानी वास्तविकता की जानकारी पैमाईस व सीमा चिन्ह कायम करने पर होगी। प्रार्थी में अपने पड़ौसी खातेदारों को नियमानुसार पक्षकार अप्रार्थीगण बनाया गया है प्रार्थी जेर प्रार्थना पत्र में अंकित अपनी खातेदारी भूमि के खातेदार है जिन्हें अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश व सीमा चिन्ह व पत्थर गढ़ी करवाने का पूर्ण हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी ने उसकी खातेदारी भूमि खसरा नं0 48 तादादी 9.3600 हैक्टेयर रोही मौजा आसपालसर मुगलेरा तहसील सरदारशहर का सीमाज्ञान करवाया जाकर नियमानुसार पत्थरगढी करवाई जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि उसकी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 47

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

तादादी 3.3600 हैक्टेयर रोही आसपालसर मुगलेरा की राजस्व रिकॉर्ड रकबा के मौके पर पूरी करने के पश्चात प्रार्थी की कृषि भूमि का सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी कायम की जाती है तो अप्रार्थी सं. 1 को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थना पत्र के तथ्यो, प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न राजस्व अभिलेख व तर्कों पर ध्यानपूर्वक मनन व गौर किया गया। वर्णित विवेचन से यह तथ्य प्रमाणित पाया गया कि प्रार्थी कृषि भूमि खसरा नं0 48 तादादी 9.3600 हैक्टेयर रोही मौजा आसपालसर मुगलेरा तहसील सरदारशहर का खातेदार है जो अपने खेत का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार होने से अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनी अधिकारी है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र पुष्ट व प्रमाणित पाया जाता है फलस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सरदारशहर को आदेशित किया जाता है कि वह दक्ष पटवारियों व गिरदावरों की टीम गठित कर अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थी की तन्हा खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं0 48 तादादी 9.3600 हैक्टेयर रोही मौजा आसपालसर मुगलेरा तहसील सरदारशहर के खेत की सीमाओं पर सीमाचिन्ह कायम किये जाकर एवं पेमाईश कराकर पुख्ता पत्थरगढी करावें। पेमाईश एवं पत्थरगढी का समस्त खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार सरदारशहर को भिजवाई जावे। विवाद की स्थिति में पुलिस इमदाद से निर्णय की पालना सुनिश्चित की जाये।

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 16/06/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरू)